संख्या– 1834 बी/क0नि0–6–2017–1(बी)/2017

प्रेषक

राजेन्द्र सिंह मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. कृषि निदेशक, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी लखनऊ।

जारी 06-12-17

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 6 दिसम्बर, 2017

विषय– फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत शिकायतों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना शासनादेश संख्या–540बी/क0नि0–6–2017–1(बी)/2017, दिनांक 24 जून, 2017 के माध्यम से प्रसारित की गयी है। योजना के अध्याय–6 में शिकायत निवारण पोर्टल की व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार एनआईसी द्वारा फसल ऋण मोचन योजना से संबंधित शिकायत निवारण तथा योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक पोर्टल विकसित किया गया है। इस अनुक्रम में शासनादेश संख्या–1650बी/क0नि0–6–2017–20(बी)15/2017, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के प्रस्तर–2 के बिन्दु सं0–6 में शिकायत निवारण के उपरान्त डिमाण्ड जनरेशन की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि शिकायत निवारण पोर्टल पर ही किसानों द्वारा आवदेन के समय अपनी पात्रता संबंधी समस्त सूचनाएं यथा आधार नं0, केसीसी सं0, भूमि संबंधी विवरण आदि का अंकन किया जायेगा तथा उक्त सूचना के आधार पर जांचोपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा अर्ह पाये गये समस्त किसानों हेतु डिमाण्ड जनरेशन पोर्टल पर करना होगा। इस हेतु एनआईसी द्वारा पोर्टल पर यथावश्यक अनुकूलन (customization) कर दिया गया है।

2. उक्त के आलोक में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पोर्टल पर शिकायतें दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक प्राप्त की जायेंगी तथा इस तिथि तक प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के फलस्वरूप जिला स्तरीय समिति द्वारा अर्ह पाये गये किसानों के खातों में धनराशि का अन्तरण शासनादेश सं0– 540बी/क0नि0–6–2017–01(बी)/2017, दिनांक 24 जून, 2017 के साथ मूलरूप में प्रसारित फसल ऋण मोचन योजना के अध्याय–5 (कार्यान्वयन प्रकिया) में वर्णित प्रकिया के अनुसार जनपद स्तर पर ही किया जायेगा।

3. अतएव, आपसे अनुरोध है कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य) 6/12
उप सचिव।

Vijay 6/12/17

संख्या– 1834 (1) बी/क0नि0–6–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त/सहकारिता/आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/कृषि/राजस्व/सूचना, उत्तर प्रदेश शासन।
5. विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य) 6/12

उप सचिव।